

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

पत्रांक - ४९१

02/06/2018

ॐ नमः

महर्षि पञ्चननः

प्राप्तः श्री. कृष्णमूरुगन एत

इति श्री भिष्मदेव उवाच ।

विषय :- म० पी० एच० सिद्ध कौशिकरशन आण्ड इंडिया लि० द्वारा JUSNL गाबिन्दपुर स० दुमका
लॉक 220 ज० म० डी० / री० एडमिनिस्ट्रेशन जगद्वेन निर्माण हेतु कुल- 162835 हे०
अन० मी० कागजातों का प्रमाण। 1. 10/10/11

प्रमाण : ३६२२४ १००८०० प्रमाणपत्र, इन एच जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रावी
की भद्रक- २१९९ दिनांक १८.०६.२०१८

महाराज

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि अभिलेख बन समाप्त हो चुका है। यह अभिलेख की संवैधानिक समिति प्रायोगिक पत्र द्वारा प्राप्त हुई है जिसकी शर्तें से 02 के अनुयायी मध्यम की राशियाँ निर्धारित हैं-

(1) प्रमण्डल में प्रस्तावित उन भूमि का कुल रकबा- 0.3889 हे०

(11) प्रस्तावित वन भूमि पर जनरोपण का घनत्व— 0.4

4444 NPA 37 150577 (600) E 24 - 2434 जारी

अतः अनुसूचित व कि. राशि को - 2434 नारायण सं- 05 में दर्शाते हुए (CANPV) की राशि e-payment module से online के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित की जाय साथ ही विदित है कि क्षतिपूर्क वनरापण हेतु वन भूमि जामलाड़ा वन प्रमण्डल में परतावित है अतः क्षतिपूर्क वनरापण हेतु मांग अथ नारायण सं प्रमण्डल द्वारा की जाएगी।

विश्वामित्रभाष्य

S. Chandra
04-06-18
प्रमाणित प्रदाधिकारी
धनबाद



कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा।

Court Road, Jamtara,

E-mail- dfo.jamtara@rediffmail.com, dfo-jamtara@gov.in



पत्राक- 277 दिनांक- 18/7/18

प्रक.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा वन प्रमंडल।

सेवा में,

श्री बी० भी० सुब्बाराय,
सहायक महाप्रबंधक,
जे.सी.पी. धनबाद।
पी-8 हर्ष विहार कॉलोनी,
सूर्यदेव नगर, सरायडेला,
धनबाद (झारखण्ड) 828127।

विषय - जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा अन्तर्गत 220 के.भी. डी/सी गोविन्दपुर-दुमका विद्युत संचरण पथ निर्माण हेतु 6.2169 हे० का वनभूमि संपादन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्राक FP/JH/TRANS/18286/2016/2199 दिनांक 18.05.2018।

महाराज,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर (Stage-I) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों की शर्तवार विधि विनियम सुस्पष्ट की जाती है :-

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 6-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अर्पणित होने वाली वनभूमि 6.2169 हे० हेतु 628000.00 रुपये प्रति हे० की दर से कुल 38,91,779.40 (अड़तीस लाख एकानवे हजार सात सौ उनसी रु० चालीस पैसे) मात्र एकमुंकी मद में वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चालान जनरेट कर स्वयंसेवक बैंक से ही जमा किया जाय। राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय। नोट-आर.टी.जी.एस/नेट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तर्गण नहीं किया जाय।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
4	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 6.2169 हे० (जामताड़ा वन प्रमंडल) 0.3889 हे० (धनबाद वन प्रमंडल) कुल 6.6058 हे० हेतु अर्पणित वनभूमि 13.2116 हे० या 13.22 हे० पर अतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 34,48,891.00 (चौतीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ एकानवे) रुपये मात्र क्षतिपूर्क वनरोपण मद में वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चालान जनरेट कर

कार्य की विवरणी		प्रति हे०					9.85 हे०					कुल व्यय रु० में
क्र. सं.		इकाई	मा० दि०	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	सिस्टम इंस्टालेशन डेम, चेक डेम, रिटर्निंग एवं ब्रेस्ट बाल, दो वाने, स्पर एवं टॉरिब्ल्ड निर्वहन कार्य आदि	हे०	25.00	0.00	5934.50	5934.50	246.25	0.00	58454.83	58454.83		
9	गली स्वयं	हे०	10.00	0.00	2373.80	2373.80	98.50	0.00	23381.93	23381.93		
10	विशेष कार्य (जवाकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	1477.50	0.00	1477.50		
योग :-			155.00	6102.79	36793.90	42896.69	1703.85	234006.09	404459.91	638465.00		
9	अवैतल शिष्टु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत सहित का 18 प्रतिशत)							38816.83	112869.11	151685.94		
योग :-								272822.91	517329.02	790151.94		
समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2019-20		गजदूरी दर	237.38 का 15 % बढ़ाकर = 272.99 रु० प्रति मानव दिवस									
1	अस पोषकाला कार्य रात्री पहली सहित	हे०	21.50	0.00	5869.29	5869.29	211.78	0.00	57812.46	57812.46		
2	दुसरा पोषक	हे०	36.50		9964.14	9964.14	359.53	0.00	98146.73	98146.73		
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	हे०	41.50	0.00	11329.09	11329.09	408.78	0.00	111591.49	111591.49		
4	द्वेष के वर्ष पर घेरान हेतु नील रोपन	हे०	2.00	0.00	545.98	545.98	19.70	0.00	5377.90	5377.90		
5	पापों की सुखा (50 हे० तक)	स्थल	275.00	0.00	75072.25	75072.25	275.00	0.00	75072.25	75072.25		
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डीएफपी/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	हे०	0.00	2365.00	0.00	2365.00	0.00	23295.25	0.00	23295.25		
7	विविध कार्य (जवाकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	1477.50	0.00	1477.50		
योग :-			376.50	2515.00	102780.74	105295.74	1274.78	24772.75	348000.83	372773.58		
सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2020-21		मजदूरी दर	272.99 का 15 % बढ़ाकर = 313.94 रु० प्रति मानव दिवस									
1	एक कोड़नी-निकोनी	हे०	23.00	0.00	7220.62	7220.62	226.55	0.00	71123.11	71123.11		
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे०	0.00	1892.40	0.00	1892.40	0.00	18640.14	0.00	18640.14		
3	पापों की सुखा (50 हे० तक)	स्थल	365.00	0.00	114588.10	114588.10	365.00	0.00	114588.10	114588.10		
4	घेरान भरभरति (98.00 चैन)	चैन	1.00	0.00	313.94	313.94	98.40	0.00	30891.70	30891.70		
5	मृद पोषों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	290.00	941.82	1231.82	29.54	2856.50	5276.93	12133.43		
योग :-			392.00	2182.40	123064.48	125246.88	719.50	21496.64	235879.38	247376.87		

क्र. सं.	कार्य की विवरण	प्रति हे०					9.85 हे०				
		इकाई	मा० दि०	सागरी रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	मा० दि०	सागरी रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	दि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्र. सम्मोषण कार्य (वित्त वर्ष) 2021-22											
मजदूरी दर 313.94 का 15 % बढ़ाकर = 361.03 रु० प्रति मानव दिवस											
1	एक लोकनी-निकानी	हे०	23.00	0.00	8303.69	8303.69	226.55	0.00	81791.35	81791.35	
2	सागरी (ज्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे०	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	12805.00	0.00	12805.00	
3	पीछों की सुरक्षा (30 हे० रुक)	स्थल	365.00	0.00	131775.95	131775.95	365.00	0.00	131775.95	131775.95	
4	मृत पीछों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	290.00	1083.09	1373.09	29.55	2856.50	10668.44	13524.94	
	योग :-		391.00	1590.00	141161.73	142752.73	621.10	18661.50	224235.73	239897.23	
क. सम्मोषण कार्य (वित्त वर्ष) 2022-23											
मजदूरी दर 361.03 का 15 % बढ़ाकर = 415.18 रु० प्रति मानव दिवस											
1	एक लोकनी-निकानी	हे०	23.00	0.00	9549.14	9549.14	226.55	0.00	94039.03	94039.03	
2	सागरी (ज्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे०	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	4925.00	0.00	4925.00	
3	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	151540.70	151540.70	365.00	0.00	151540.70	151540.70	
4	रसायन मरम्मत (98.40 घंटा)	घंटा	1.00	0.00	415.18	415.18	98.40	0.00	40853.71	40853.71	
	योग :-		389.00	500.00	161505.02	162005.02	689.95	4925.00	286453.44	291378.44	
ख. सम्मोषण कार्य (छठा वर्ष) 2023-24											
मजदूरी दर 415.18 का 15 % बढ़ाकर = 477.46 रु० प्रति मानव दिवस											
1	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	174272.90	174272.90	365.00	0.00	174272.90	174272.90	
	योग :-		365.00	0.00	174272.90	174272.90	365.00	0.00	174272.90	174272.90	
ग. सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2024-25											
मजदूरी दर 477.46 का 15 % बढ़ाकर = 549.08 रु० प्रति मानव दिवस											
1	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	200414.20	200414.20	365.00	0.00	200414.20	200414.20	
	योग :-		365.00	0.00	200414.20	200414.20	365.00	0.00	200414.20	200414.20	
घ. सम्मोषण कार्य (आठम वर्ष) 2025-26											
मजदूरी दर 549.08 का 15 % बढ़ाकर = 631.44 रु० प्रति मानव दिवस											
1	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	230475.60	230475.60	365.00	0.00	230475.60	230475.60	
	योग :-		365.00	0.00	230475.60	230475.60	365.00	0.00	230475.60	230475.60	
ड. सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2026-27											
मजदूरी दर 631.44 का 15 % बढ़ाकर = 726.16 रु० प्रति मानव दिवस											
1	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	265048.40	265048.40	365.00	0.00	265048.40	265048.40	
	योग :-		365.00	0.00	265048.40	265048.40	365.00	0.00	265048.40	265048.40	
ढ. सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2027-28											
मजदूरी दर 726.16 का 15 % बढ़ाकर = 835.08 रु० प्रति मानव दिवस											
1	पीछों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	304804.20	304804.20	365.00	0.00	304804.20	304804.20	
	योग :-		365.00	0.00	304804.20	304804.20	365.00	0.00	304804.20	304804.20	
	सकल योग:-		3528.50	12890.19	1740322.17	1753212.36	6834.18	300861.98	2664045.04	2964907.02	
	कुल योग (सकल योग + ई०पी०ए०)		3528.50	12890.19	1740322.17	1753212.36	6834.18	339678.80	276914.16	3116592.96	

क्र. सं.	कार्य की विवरणी		भूति हे०				०.८५ हे०				दि०	
	इकाई	म० दि०	सामग्री रु० में	गजदूरी रु० में	कुल घन रु० में	म० दि०	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	दि०	१०	११
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

सारांश

क्र.	कार्य	वस वर्षीय योजना की लागत				EPA की राशि (15% of 10Yr Plan)				वस वर्षीय योजना की कुल लागत			
		सामग्री	गजदूरी	कुल	EPA सामग्री	EPA गजदूरी	EPA कुल	सामग्री	गजदूरी	कुल	सामग्री	गजदूरी	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	234006.09	404459.91	638466.00	38816.83	112869.11	151685.94	272822.91	517329.02	790151.94			
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	24772.75	348000.83	372773.58	0.00	0.00	0.00	24772.75	348000.83	372773.58			
3	साम्योपेक्षा कार्य (तृतीय वर्ष)	21496.64	225879.83	347376.47	0.00	0.00	0.00	21496.64	225879.83	247376.47			
4	साम्योपेक्षा कार्य (चतुर्थ वर्ष)	15661.50	224235.73	239897.23	0.00	0.00	0.00	15661.50	224235.73	239897.23			
5	साम्योपेक्षा कार्य (पंचम वर्ष)	4925.00	286453.44	291378.44	0.00	0.00	0.00	4925.00	286453.44	291378.44			
6	साम्योपेक्षा कार्य (छठा वर्ष)	0.00	174272.90	174272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	174272.90	174272.90			
7	साम्योपेक्षा कार्य (सप्तम वर्ष)	0.00	200414.20	200414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200414.20	200414.20			
8	साम्योपेक्षा कार्य (अष्टम वर्ष)	0.00	230475.60	230475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	230475.60	230475.60			
9	साम्योपेक्षा कार्य (नवम वर्ष)	0.00	263048.40	263048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263048.40	263048.40			
10	साम्योपेक्षा कार्य (दशम वर्ष)	0.00	304804.20	304804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	304804.20	304804.20			
	योग :-	300861.98	2664045.04	2964907.02	38816.83	112869.11	151685.94	339678.80	2776914.16	3116593.96			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राकलन विधीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रोही के कार्यालय आदेश सं० 23, झापक 281 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तात्विका पर आधारित है। गजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि कर प्राकलन तैयार किया गया है।

समपित



वन क्षेत्र पदाधिकारी,
नाला वन प्रक्षेत्र।

प्रतिद्विचारित



वन प्रमडल पदाधिकारी,
जामताड़ा वन प्रमडल।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, देवघर।

Or say

3116593.96



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार

फोन / फैक्स नं०-6432-232397, मो०-9431137795, ईमेल-dfo.deoghar2@gmail.com



संरक्षण विभाग

पत्रांक 01-02 वनमू०/02(22)16/2018..... दिनांक

प्रेषक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर।

संदर्भ में

श्री वी० पी० मुखर्जी
सहायक महाप्रबंधक,
जे.सी.पी., धनबाद।
बी-8, हर्ष विहार कॉलोनी,
सूर्यदेव नगर, सरायखेला,
धनबाद (झारखण्ड) 828127।

विषय : देवघर वन प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत 220 हे.मी. डी/सी गोविन्दपुर-दुमका विद्युत संचरण पथ निर्माण हेतु 5.5528 हे० का वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/JH/TRANS/19286/2016/2199 दिनांक 18.05.2016।

महत्वपूर्ण

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर (Stage-I)

की स्वीकृति प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों की शर्तों पर स्थिति निम्नवत सुस्पष्ट की जाती है :-

शर्त क्रम	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2008 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि (5.5528 हे०) हेतु 6.28 लाख प्रति हे० की दर से कुल 34,76,115.00 (तीस लाख सत्तर हजार एक सौ पचास हजार एक सौ पचास रुपये मात्र एनपीवी की मद में झारखण्ड के रीमा एकाउन्ट सं० 820101289743558, फारंप्रेशन बैंक, लेवी कम्पलेक्स ब्रांच, चाण्ड प्रलौर, ब्लॉक नं०-11, डी.जी.ओ कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन धालान जेनरेट कर धालान के माध्यम से ही जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय। नोट-आर.टी.सी./नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।

5. Penal Compensatory Afforestation over 32.1 ha degraded forest land shall be raised and maintained by the State Forest Department from the funds already provided by the User Agency.	इस कार्यालय के पत्रांक 2477 दिनांक 04.07.2018 प्रादेशिक पत्र (3) के द्वारा प्रेषित मांग-पत्र को रद्द किया जाता है एवं प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 23 झापांक 781 दिनांक 19.08.2018 के द्वारा प्राप्त दर तालिका (15 प्रतिशत वार्षिक मजदूरी दर से वृद्धि करते हुए) के आधार पर Land in violation (5.5529 हे०) के चार गुने अवकृष्ट वनभूमि पर 22.212 हे० पर दण्डात्मक क्षतिपूर्क वनरोपण की राशि का पुनः निर्धारण किया जाता है। इस शर्त के अनुपालन हेतु देवघर वन प्रमंडल, देवघर अंतर्गत Land in violation (5.5529 हे०) के चार गुने अवकृष्ट वनभूमि 22.212 हे० पर दण्डात्मक क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु कुल 72,47,783.00 (बहत्तर लाख सैतालीस हजार सत्ता ही तिरसठ) रुपये मात्र को दण्डात्मक क्षतिपूर्क वनरोपण बट में झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट सं० 520101263743558, कारपोरेशन बैंक, लोधी कम्पलेक्स, पलार, ब्लॉक नं०-11, सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन वास्तान जेनरेट कर Online Module के माध्यम से ही जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय। नोट-आरटीजीएस/नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अंतरण नहीं किया जाय।
15. To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines: d. The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably Bar, Shadu) in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.	इस कार्यालय के पत्रांक 2477 दिनांक 04.07.2018 प्रादेशिक पत्र (3) के द्वारा प्रेषित मांग-पत्र को रद्द किया जाता है एवं प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 23 झापांक 804 दिनांक 26.08.2018 के द्वारा प्राप्त दर तालिका (15 प्रतिशत वार्षिक मजदूरी दर से वृद्धि करते हुए) के आधार पर क्षतिपूर्क वनरोपण की राशि का पुनः निर्धारण किया जाता है। इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रस्तावित विद्युत संवर्धन पथ के नीचे (वनभूमि पर) कुल 1585.543 मी० वनभूमि पर दुर्घाट स्पेसिज (खरीफा, बैर आदि) के रोपण हेतु कुल राशि 44,68,815.00 (चौरास लाख अड़सठ हजार आठ सौ पन्चसठ) रुपये मात्र झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट सं० 520101263743558, कारपोरेशन बैंक, लोधी कम्पलेक्स, पलार, ब्लॉक नं०-11, सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन वास्तान जेनरेट कर Online Module के माध्यम से ही जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय। नोट-आरटीजीएस/नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अंतरण नहीं किया जाय।
22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may impose from time to time in the interest of Afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वनप्रमंडल पत्र (underlaking) समर्पित किया जाए।

शेव सभी शर्तों का अनुपालन ग्वाहत रहेगा। इस कार्यालय के पत्रांक 2477 दिनांक 04.07.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनु० : सहायक।

विश्वास्तमाजन

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

झापांक 01-02 य०भू०/02(22)15/2018 2742 दिनांक 24-07-2018

प्रतिलिपि : वन सहायक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/राँचीय मुख्य वन सहायक, संभाल परगना, दुमका एवं प्रधान मुख्य वन सहायक-सह-कार्यकारी निदेशक, दजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/07/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

देवघर वन प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत 220 के.सी डी/सी गोविन्दपुर-दुमका टा-समिश्रण लाईन निर्माण हेतु Land in Violation 5.5529 हे० के चारपुणे अवकृष्ट वनमृगि 22.212 हे० पर दण्डालमक क्षतिपूर्क वनरोपण योजना का प्राक्कलन

प्रमंडल का नाम - देवघर वन प्रमंडल, देवघर

प्रक्षेत्र का नाम - नू संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर

तपल का नाम - मोरोटांक, कोलकियावी, चरकमारा, सरपता

थाना एवं थाना नं० - मधुपुर 413, 422 सारठ 144, 164

प्लॉट नं० - 1447, 48807, 504, 251, 128, 73, 471, 584, 581

प्रमंडल के विवरण : देवघर मर्याद द्वारा कुल 883.30 के०

पौधों की संख्या - 1668 प्रति हे०

पौधों के बीच की दूरी - 3m x 2m

मजदूरी दर - 237.38 प्रति मानव दिवस

रकबा - 22.212 हे०

पौधों की प्रजाति - शीरम, सामधान, गन्धार, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र		कार्य का विवरण	प्रति प्लॉट						22.212 हे०			कुल व्यय रु० में	कुल व्यय रु० में
			इकाई	माप दि०	मजदूरी रु० में	साधनी रु० में	कुल व्यय रु० में	माप दि०	मजदूरी रु० में	साधनी रु० में			
1	1	अंश	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क	क	अंश का कार्य (प्रक्षेत्र एवं सारथ)	हे०	3	712.14	0.00	712.14	68.84	15818.05	0.00	15818.05		
1	1	संरक्षण एवं सामान्य कार्य	हे०	10	2373.80	0.00	2373.80	222.12	52728.85	0.00	52728.85		
2	2	प्रती लादी	से०	2	474.78	1983.79	2438.55	1738.00	412234.11	1735158.88	2117382.97		
3	3	मर्याद द्वारा देवघर वन प्रमंडल (जल संसाधन विभाग की अनुमति पर पृथकी दिनांक 01.04.2014 से लागू का आदेश सं०-7-1-2014 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ प्रदायक रहे)	हे०	38.50	8864.37	0.00	8864.37	810.74	192452.99	0.00	192452.99		
4	4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1668 प्लॉट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल प्लॉट सहित)	हे०	18.50	3916.77	0.00	3916.77	368.50	88959.30	0.00	88959.30		
5	5	अंश पौधशाला कार्य सत्री प्रहरी सहित (20% प्रतिशत के साथ)	हे०	0	0.00	3989.00	3989.00	0.00	0.00	88803.67	88803.67		
6	6	साधनी (पॉलिथीन थैली, बीजा, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेराव सामग्री आदि)	हे०	35	13955.80	0.00	13955.80	1221.68	289997.65	0.00	289997.65		
7	7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ड्रेनिंग 120, कट्टर ड्रेन साईज 3 मी० x 0.30 मी० x 0.3 मी० का खोदा जंगल विभाग की दूरी 2 मी० से 3 मी० की सजा इसकी मिट्टी का नीचे कीले 1/4 0.10 मी० इत कर 0.30 मी० की चौड़ाई ने 0.45 मी० गहरा कर दिया गया।	हे०										

1	सिस्टम डिस्ट्रिब्यूशन डेम, शेक डेम, डिस्ट्रिब्यूशन एवं ब्रेस्ट वॉल, टी. बाल, स्मॉल एवं टर्मिनेट नियंत्रण कार्य आदि	25	4834.50	0.00	5834.50	5834.50	131817.11	0.00	131817.11
2	पानी प्रसंगि	10	2373.80	0.00	2373.80	222.12	52728.85	0.00	52728.85
3	निर्देश कार्य (आयोजना, सर्वेक्षण बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	0.00	150.00	150.00	0.00	3331.80	3331.80	3331.80
योग :-		168	37506.04	6102.79	43608.83	5201.87	1234772.90	1787084.33	3031837.22
4	प्रबंध बिन्दु कार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में व्यय की जाएगी)						288795.90	277943.63	566739.53
योग :-							1523668.89	2076037.95	3598606.75
ग. निष्पादन कार्य (तृतीय वर्ष)									
1	एक कोरुनी-निकोनी	23	7220.82	0.00	7220.82	510.88	160384.41	0.00	160384.41
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	0.00	1892.40	1892.40	0.00	42033.99	42033.99	42033.99
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	265.00	114588.10	0.00	114588.10	365.00	114588.10	0.00	114588.10
4	चेरान मर्यादित	1	313.94	0.00	313.94	888.30	272594.10	0.00	272594.10
5	चूत पौधों का प्रतिस्थापन	3	941.82	280.00	1231.82	88.84	20919.71	6441.48	27361.19
योग :-		382.00	123064.48	2182.40	125246.88	1810.81	558436.32	48475.47	616911.75

संयोजन कार्य (सामग्री)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		381.03		रुपये (यदि 15 प्रतिशत) तृतीय वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकोनी	है०	23	8303.68	0.00	8303.68	184441.56
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	1300.00	1300.00	28875.80
3	पीपों की सुरक्षा (30 हे० तक)		385.00	131775.86	0.00	131775.86	0.00
4	मृत पीपों का प्रदूषण	है०	3	1083.09	290.00	1373.09	6441.48
योग :-		394.00		141162.73	1590.00	142752.73	35317.08
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस				415.18			375892.19
संयोजन कार्य (सामग्री)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		415.18		रुपये (यदि 15 प्रतिशत) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए	
1	एक कोड़नी-निकोनी	है०	23	9549.14	0.00	9549.14	212105.50
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	500.00	500.00	11108.00
3	पीपों की सुरक्षा		365.00	151540.70	0.00	151540.70	0.00
4	मृत पीपों का प्रदूषण	पेन	1	415.18	0.00	415.18	360590.79
योग :-		369.00		161605.02	600.00	162005.02	735262.99
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस				477.46			
संयोजन कार्य (सामग्री)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		543.00		रुपये (यदि 15 प्रतिशत) षष्ठ्य वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पीपों की सुरक्षा	स्थल	365.00	174272.90	0	174272.90	174272.90
योग :-		365.00		174272.90	0.00	174272.90	174272.90
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस				543.00			
1	पीपों की सुरक्षा	है०	365.00	200385.00	0	200385.00	200385.00
योग :-		365.00		200385.00	0.00	200385.00	200385.00

समाधान कार्य (अद्यतन वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		831.44	रकम (रुपि. 15 प्रतिशत)		अद्यतन वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पीपी की सुखा	रु०	365.00	230475.60	0	230475.60	230475.60	230475.60
	योग :-		365.00	230475.60	0.00	230475.60	230475.60	230475.60
समाधान कार्य (अद्यतन वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		726.15	रकम (रुपि. 15 प्रतिशत)		अद्यतन वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पीपी की सुखा	रु०	365.00	265044.75	0	265044.75	265044.75	265044.75
	योग :-		365.00	265044.75	0.00	265044.75	265044.75	265044.75
समाधान कार्य (अद्यतन वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		835.00	रकम (रुपि. 15 प्रतिशत)		अद्यतन वर्ष को आधार मानते हुए	
1	पीपी की सुखा	रु०	365.00	304775.00	0	304775.00	304775.00	304775.00
	योग :-		365.00	304775.00	0.00	304775.00	304775.00	304775.00
सकल योग:-			3651.50	1740972.25	12890.15	1753862.45	4733187.69	6681023.74

सायाश

क्र.	कार्य	वस वर्षीय योजना की लागत	EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)	EPA की राशि	EPA मजदूरी	EPA मजदूरी	कुल	वस वर्षीय योजना की कुल लागत
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA मजदूरी	कुल	कुल
1	आग्नि कर्म (प्रथम वर्ष)	1234772.90	1797094.33	3031867.22	288795.90	277943.63	566739.53	1523508.00
2	समान कार्य (द्वितीय वर्ष)	690533.12	55883.18	746316.30	0.00	0.00	0.00	690533.12
3	सामोक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	568486.32	49475.47	616961.79	0.00	0.00	0.00	568486.32
4	सामोक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	340275.11	35317.08	375592.19	0.00	0.00	0.00	340275.11
5	सामोक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	724146.99	11106.00	735252.99	0.00	0.00	0.00	724146.99
6	सामोक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	174272.90	0.00	174272.90	0.00	0.00	0.00	174272.90
7	सामोक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	200385.00	0.00	200385.00	0.00	0.00	0.00	200385.00
8	सामोक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	230475.60	0.00	230475.60	0.00	0.00	0.00	230475.60
9	सामोक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	265044.75	0.00	265044.75	0.00	0.00	0.00	265044.75
10	सामोक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	304775.00	0.00	304775.00	0.00	0.00	0.00	304775.00
	कुल	4733187.69	1947338.03	6681023.74	288795.90	277943.63	566739.53	6021963.59
	कुल							7247763.27

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आकलन वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, आनंदखण्ड संघी के कार्यालय आदेश सं 23 आर्पाक 781 दिनांक 19.08.2018 द्वारा प्राप्त दर-तासिका पर आधारित है।

समर्थित

प्रतिस्वाक्षरित

प्रतिस्वाक्षरित

वन क्षेत्र महाधिकारी
श्री सत्यमण प्रसेन, मधुपुर

वन प्रमोशन महाधिकारी
देवधर वन प्रमोशन, देवधर

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, देवधर

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
संथाल परगना, दुमका



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।



प्राप्त : २५/५/२०१८

Forest Compound, Dumka-814101

Ph. No- 06434-236072

From : Mr. [Name] to Mr. [Name]

दिनांक : २५/५/२०१८

सेवा : १५

श्री. [Name] मुख्य अधिकारी,
श्री. [Name] महाप्रबंधक,
श्री. [Name] धनबाद।
श्री. [Name] विहार केलानी,
श्री. [Name] नगर, सराईदेला,
श्री. [Name] (अंतरखण्ड) 828127।

विषय :

दुमका वन प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत 220 हे.मी. डी/सी गोविन्दपुर-दुमका विद्युत संचरण
पथ निर्माण हेतु 4.1048 हे० का वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।
भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का
पत्रांक- FPA/H/TRANS/19286/2016/2199 दिनांक 18.05.2018 तथा प्रधान मुख्य वन
सहायक-राँची-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, आरखण्ड, राँची का आपांक-
ASZ दिनांक-25.5.2018

प्रति :

नगरपालिका वन द्वारा विचारित प्रस्ताव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर
आवृत्ति की समीक्षा प्रदान की गयी है। (अद्यतन संलग्न) भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों की
अंतिम स्थिति के अनुसार सुपार की जाती है -

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this project from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.04.2008, 21.01.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (C) 107 of 2002/1993 and the guidelines issued from Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.01.2008 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि (4.1048 हे०) हेतु 6.28 लाख प्रति हे० की दर से कुल 25,69,605.00 (पच्चीस लाख सत्तर हजार छः सौ पचास) रुपये मात्र एन०पी०वी० मद में Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ई-पमेंट के माध्यम से जमा किया जाय तथा शेष जमा करने संबंधी प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करे। नोट-आय "एजेंट/एम्प्लॉय/नैपट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तर्गत नहीं किया जाय।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged to the State Govt. from the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।

P.T.O.

16	The user agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in the project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in this area, including forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अव्ययोजित होने वाली जनभूमि एवं उसके आस-पास के वनस्पति बसावट वाले जगहों पर पक्षियों के घोंसले (इको-फ्रेंडली) घोंसलों के निर्माण हेतु भारत सरकार या झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्वतंत्र एजेंसी से स्थल का सर्वे करवाकर प्राथमिकता सम्पत्ति किया जाय ताकि तदनुरूप राशि की मांग की जा सके।
17	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	इस शर्त के अनुपालन हेतु यचनवद्धता पत्र (undertaking) सम्पत्ति किया जाय।
18	The forest land proposed for diversion shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	इस शर्त के अनुपालन हेतु यचनवद्धता पत्र (undertaking) सम्पत्ति किया जाय।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	इस शर्त के अनुपालन हेतु यचनवद्धता पत्र (undertaking) सम्पत्ति किया जाय।
20	The State Government shall ensure that settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, if any, has been complete in accordance with the Guidelines issued by the MoEF&CC in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु उपयुक्त, दुमका वन विहित वनधिकार संबंधी प्रमाण-पत्र की (दिले) हस्ताक्षरित प्रतियाँ सम्पत्ति किया जाय।
21	The user agency and the State Government shall ensure compliance of provisions of all the Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, which are applicable to the project.	इस शर्त के अनुपालन हेतु यचनवद्धता पत्र (undertaking) सम्पत्ति किया जाय।
22	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may impose from time to time in the interest of Afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु यचनवद्धता पत्र (undertaking) सम्पत्ति किया जाय।

अनुरोध है कि सभी शर्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में यथासौच सम्पत्ति किया जाए ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
अनु०-यथोक्त।

सं-सूच

आपाक- 19.05 दिनांक- 04-6-18

प्रतिनिधि-वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संभाल
प्रधान, दुमका/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी-निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड,
रांची को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्यासभाजन
04/6/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका
04/6/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका
04/6/18